

कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान

प्रलिस के लिये:

भारतीय संवधान, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, सरकार का संसदीय स्वरूप, विशेष प्रावधान, भारत का संवधान, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, सातवीं अनुसूची, कषेत्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण, सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, जनजातीय कषेत्र, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, छठी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची।

मेन्स के लिये:

राज्यों के लिये विशेष प्रावधान, विशेष दर्जे की मांग

संदर्भ

भारतीय संवधान कुछ राज्यों को उनके वशिषिट सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतहासिक संदर्भों को संबोधित करने के लिये अनुच्छेद 371 से 371-J के अंतर्गत वशिष प्रावधान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कषेत्रीय हतियों की रक्षा करना, समान विकास सुनिश्चित करना और स्वदेशी पहचान की रक्षा करना है। ये प्रावधान राज्य-वशिषिट शासन स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं, साथ ही ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कौन से संवधानिक प्रावधान कुछ राज्यों के वशिष प्रावधानों को शासित करते हैं?

- भारतीय राज्यों को वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों के कारण अलग-अलग व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ को वशिषिट स्वायत्तता और अद्वितीय **केंद्र-राज्य संबंध** प्राप्त हैं।
 - **अनुच्छेद 371:** शासन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 12 राज्यों के लिये वशिष प्रावधान प्रदान करता है।
 - संवधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J में 12 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सकिक्मि, मजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिये वशिष प्रावधान हैं।
 - ये सभी अपवाद संवधान के भाग “अस्थायी, संक्रमणकालीन और वशिष प्रावधान” के अंतर्गत हैं, जो यह दर्शाता है किये प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक क अलगाववादी भावनाएँ या युद्ध का संकट समाप्त नहीं हो जाता।
 - हालाँकि, “अस्थायी” टैग के बावजूद, किसी भी प्रावधान में स्पष्ट समाप्ति तिथि नहीं दी गई है।
 - इनके पीछे उद्देश्य राज्यों के पछिडे कषेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना अथवा राज्यों के जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हतियों की रक्षा करना या राज्यों के कुछ हिस्सों में अशांत कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना या राज्यों के स्थानीय लोगों के हतियों की रक्षा करना है।
 - मूलतः संवधान में इन राज्यों के लिये कोई वशिष प्रावधान नहीं किया गया था।
 - इन्हें राज्यों के पुनर्गठन या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में किये गए विभिन्न संशोधनों द्वारा शामिल किया गया है।
 - **अनुच्छेद 239A:** संघ राज्य कषेत्र पुडुचेरी में स्थानीय वधायिका के लिये प्रावधान स्थापित करता है।
 - **अनुच्छेद 239AA:** राष्ट्रीय राजधानी कषेत्र दलिली (NCT) राज्य और समवर्ती सूचियों (7 वीं अनुसूची के अनुसार) में सूचीबद्ध वशिषों पर कानून बना सकता है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। हालाँकि, यह पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर कानून नहीं बना सकता।

राज्यों के लिये विभिन्न वशिष प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 371, (महाराष्ट्र और गुजरात): अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति को यह प्रावधान करने का अधिकार है कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल के पास नमिनलखिति के लिये वशिष ज़मिमेदारी होगी:
 - नमिनलखिति के लिये अलग विकास बोर्डों की स्थापना:
 - वदिरभ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र।

• **सौराष्ट्र, कच्छ** और शेष गुजरात ।

- यह प्रावधान कथिा गया कि इन बोरडों के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष **राज्य वधियकि** के समक्ष रखी जाएगी ।
- उपर्युक्त कषेत्रों में वकिासात्मक वयय के लयि धन का न्यायसंगत आवंटन ।
- उपर्युक्त कषेत्रों के संबंघ में **तकनीकी शकिषा** और **व्यावसायिक प्रशकिषण** के लयि पर्याप्त सुवधिएँ तथा राज्य सेवाओं में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली न्यायसंगत व्यवस्था ।

- **अनुच्छेद 371A (13वाँ संशोधन अधनियिम, 1962), (नगालैंड): अनुच्छेद 371-A** नगालैंड के लयि नमिनलखिति वशिष प्रावधान करता है:
 - नमिनलखिति मामलों से संबंघति संसद के अधनियिम **नगालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे** जब तक कि राज्य वधियकि ऐसा नरिणय न ले:
 - नागाओं की धारमकि या सामाजकि प्रथाएँ ।
 - **नागा प्रथागत कानून** और प्रकरयि ।
 - नागा प्रथागत कानून के अनुसार नरिणय लेने सहति **सविलि और आपराधकि न्याय** का प्रशासन ।
 - **भूमि** एवं उसके संसाधनों का **स्वामित्व एवं हस्तांतरण** ।
 - **नगालैंड के राज्यपाल** पर राज्य में **कानून और व्यवस्था** की वशिष ज़मिमेदारी होगी जब तक कि शतरुतापूर्ण नागाओं द्वारा उत्पन्न **आंतरिक अशांति** जारी रहेगी ।
 - इस ज़मिमेदारी के नरिवहन में **राज्यपाल मंत्रपरिषद** से **परामर्श** करने के बाद अपना व्यक्तगत नरिणय लेता है और उसका नरिणय अंतिम होता है । राष्ट्रपति के नरिदेश पर राज्यपाल की यह **वशिष ज़मिमेदारी** समाप्त हो जाएगी ।
 - राज्यपाल को यह सुनिश्चिति करना होगा कि किसी वशिषि उद्देश्य के लयि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि उस उद्देश्य से संबंघति **अनुदान की मांग** में शामिल की जाए, न कि राज्य वधिान सभा में प्रस्तुत किसी अन्य मांग में ।
 - **राज्य के तुपनसांग ज़िले** के लयि 35 सदस्यों वाली एक **कषेत्रीय परिषद** गठति की जानी चाहयि ।
 - राज्यपाल को परिषद की संरचना, उसके सदस्यों के चयन की रीति, उनकी योग्यताएँ, पदावधि, वेतन और भत्ते, **परिषद की प्रकरयि और कार्य संचालन**; **परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति** और उनकी सेवा शर्तें; तथा परिषद के गठन और समुचति कारयकरण से संबंघति अन्य मामलों के लयि नियम बनाने चाहयि ।
 - **नगालैंड के गठन से दस वर्ष की अवधि** के लयि या राज्यपाल द्वारा कषेत्रीय परिषद की सफिरशि पर नरिदषिट की गई अतरिकित अवधि के लयि तुपनसांग ज़िले के लयि वभिनिन प्रावधान लागू रहेंगे ।
- **अनुच्छेद 371B (22वाँ संशोधन अधनियिम, 1969), (असम): अनुच्छेद 371-B** के तहत, राष्ट्रपति को असम वधिानसभा की एक समति के गठन के लयि अधिकार दयिा गया है, जसिमें राज्य के **जनजातीय कषेत्रों से नरिवाचति सदस्य** और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें वह नरिदषिट कर सकते हैं ।
- **अनुच्छेद 371C (27वाँ संशोधन अधनियिम, 1971), (मणपुरि): अनुच्छेद 371-C** में मणपुरि के लयि नमिनलखिति वशिष प्रावधान कयि गए हैं:
 - **राष्ट्रपति को मणपुरि वधिानसभा की एक समति के गठन** हेतु प्राधकित कयिा गया है, जसिमें राज्य के परवतीय कषेत्रों से नरिवाचति सदस्य शामिल होंगे ।
 - राष्ट्रपति यह भी नरिदेश दे सकते हैं कि राज्यपाल को उस समति के समुचति कारयचालन को सुनिश्चिति करने का **वशिष उत्तरदायतिव** होगा ।
 - राज्यपाल को **परवतीय कषेत्रों के प्रशासन** के संबंघ में राष्ट्रपति को **वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करनी होगी ।
 - केंद्र सरकार परवतीय कषेत्रों के प्रशासन के संबंघ में **राज्य सरकार को नरिदेश** दे सकेगी ।
- **अनुच्छेद 371D (32वाँ संशोधन अधनियिम, 1973; आंध्र प्रदेश पुनरगठन अधनियिम, 2014 द्वारा प्रतस्थापति), (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना): अनुच्छेद 371-D और 371-E** में आंध्र प्रदेश के लयि वशिष प्रावधान कयि गए हैं ।
 - वर्ष 2014 में, **आंध्र प्रदेश पुनरगठन अधनियिम, 2014** द्वारा अनुच्छेद 371-D का वसितार **तेलंगाना राज्य** में भी कयिा गया ।
 - अनुच्छेद 371-D के अंतरगत नमिनवत का उल्लेख है:
 - वह किसी ऐसे संवर्ग में पदों पर सीधी भरती या किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में दी जाने वाली **भ्ररीयता या आरक्षण** की सीमा और रीति को भी नरिदषिट कर सकता है ।
 - यह अधकिरण **राज्य उच्च न्यायालय के कारयकषेत्र से बाहर** संचलान करेगा । **कोई भी न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय के अतरिकित) ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा** जसिपर अधकिरण की अधकिारति होगी । **राष्ट्रपति द्वारा अधकिरण का असततिव आवश्यक नहीं समझे जाने का वशिवास होने पर इसका उत्सादन कयिा जा सकेगा** ।
 - राष्ट्रपति को **लोक नियोजन** और **शकिषा** के मामले में राज्य के वभिनिन भागों के लोगों के लयिसमान अवसर और सुवधिएँ प्रदान करने का **अधकिार** है तथा राज्य के वभिनिन भागों के लयि अलग-अलग प्रावधान कयि जा सकते हैं ।
 - उपर्युक्त उद्देश्य के लयि, राष्ट्रपति राज्य सरकार से राज्य के वभिनिन भागों के लयिसथानीय संवर्गों में **सविलि पदों को सुव्यवस्थिति करने** तथा किसी भी स्थानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भरती की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है । वह राज्य के उन भागों को नरिदषिट कर सकता है जिन्हें **किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लयि स्थानीय कषेत्र माना जाएगा** ।
 - राष्ट्रपति राज्य में सविलि पदों पर नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंघति कुछ वविादों और शकिायतों के नविरण हेतु राज्य में एक **प्रशासनिक अधकिरण** की स्थापना का प्रावधान कर सकते हैं ।
- **अनुच्छेद 371-E:** इसके अंतरगत **संसद** को आंध्र प्रदेश राज्य में एक **केंद्रीय वशिषवदियालय** की स्थापना कयि जाने का अधकिार प्रदान है ।
- **अनुच्छेद 371F (36वाँ संशोधन अधनियिम, 1975), (सकिकमि): 36वें संवधिान संशोधन अधनियिम, 1975 से सकिकमि** भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना ।
 - इसमें सकिकमि के संबंघ में वशिष प्रावधानों वाला एक नया **अनुच्छेद 371-F** शामिल कयिा गया । ये प्रावधान इस प्रकार हैं:
 - सकिकमि वधिानसभा में **कम-से-कम 30 सदस्य होंगे** ।
 - **लोकसभा में सकिकमि** को एक सीट आवंटति है तथा सकिकमि एक संसदीय नरिवाचन कषेत्र है ।
 - सकिकमि की जनसंख्या के वभिनिन वर्गों के अधकिारों और हतियों की रक्षा के लयि संसद को नमिनलखिति प्रावधान करने का अधकिार है:
 - सकिकमि वधिानसभा में ऐसे वर्गों से संबंघति अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकने वाली सीटों की संख्या ।

- उन अधिनियमों का **परिीमन** जहाँ से केवल ऐसे वर्गों से संबंधित उम्मीदवार ही अधिनियम के चुनाव के उम्मीदवार हो सकेंगे।
 - राज्यपाल को शांति और सकिमि की आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने हेतु **न्यायसंगत व्यवस्था** का विशेष उत्तरदायित्व होगा। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जारी **निर्देशों के अधीन अपने विवेक से कार्य कर सकेंगे।**
 - राष्ट्रपति भारतीय संघ के किसी राज्य में प्रवर्तित किसी विधि का (प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ) सकिमि पर क्रियान्वन कर सकता है।
- **अनुच्छेद 371G (53वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), (मि़ोरम): अनुच्छेद 371-G** मि़ोरम के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को निरदिष्ट करता है:
- निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मि़ोरम पर तब तक क्रियान्वनित नहीं होंगे जब तक कि राज्य अधिनियम ऐसा निर्णय न ले:
 - मि़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।
 - मि़ो प्रथागत विधियाँ और प्रक्रिया।
 - मि़ो प्रथागत विधि के अनुसार निर्णय लेने वाले सविलि और आपराधिक न्याय का प्रशासन।
 - भूमि का स्वामित्व एवं हस्तांतरण।
 - मि़ोरम अधिनियम में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।
- **अनुच्छेद 371H (55वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), (अरुणाचल प्रदेश): अनुच्छेद 371-H** के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधान किये गए हैं:
- अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य में विधि और व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व होगा।
 - इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल **मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद** अपना व्यक्तिगत निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल का यह विशेष उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा।
 - अरुणाचल प्रदेश अधिनियम में **कम-से-कम 30 सदस्य** होंगे।
- **अनुच्छेद 371-I, (गोवा): अनुच्छेद 371-I** के अनुसार **गोवा अधिनियम** में कम-से-कम 30 सदस्य होंगे।
- **अनुच्छेद 371J (98वाँ संशोधन अधिनियम, 2012), (कर्नाटक): अनुच्छेद 371-J** के तहत, राष्ट्रपति को यह प्रावधान करने का अधिकार है कि कर्नाटक के राज्यपाल के पास निम्नलिखित विधियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा:
- हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिये एक **अलग विकास बोर्ड** की स्थापना।
 - यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड के कार्यचालन पर एक रिपोर्ट **प्रत्येक वर्ष** राज्य अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
 - संबद्ध क्षेत्र में विकास हेतु व्यय के लिये **निधि का न्यायसंगत आवंटन**।
 - संबद्ध क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण।
 - संबद्ध क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार के पदों में आरक्षण।
 - अनुच्छेद 371-J (जिसमें कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान किया गया है) को वर्ष 2012 के **98वें संवधान संशोधन अधिनियम** द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
 - विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये **न्यायसंगत आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र** स्थापित करना है और इसके साथ ही सेवा में स्थानीय संवर्गों तथा शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर मानव संसाधनों का वर्द्धन करना और क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देना है।

Article No.	Subject-matter
371.	Special provision with respect to the states of Maharashtra and Gujarat
371A.	Special provision with respect to the state of Nagaland
371B.	Special provision with respect to the state of Assam
371C.	Special provision with respect to the state of Manipur
371D.	Special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh or the state of Telangana
371E.	Establishment of Central University in Andhra Pradesh
371F.	Special provisions with respect to the state of Sikkim
371G.	Special provision with respect to the state of Mizoram
371H.	Special provision with respect to the state of Arunachal Pradesh
371-I.	Special provision with respect to the state of Goa
371J.	Special provisions with respect to the state of Karnataka

कृछ राज्यों के ललल वशष परावधानों की आललचना क्यल है?

- **राष्ट्रीय एकता का कषरण:** वशष परावधान कषेत्रीयता को बढावा दे सकते हैं, जससे राष्ट्रीय एकता परभावतल होती है। **जम्मू और कश्मीर के ललल अनुच्छेद 370** ने एक अलग पहचान को बढावा दलल, जससे अलगाववादी भावनाओं को बढावा मलल, जबकल नगालैंड के ललल **अनुच्छेद 371A**, जो परथागत कानूनों की रकषा करता है, को वशषलता की भावना को मज़बूत करने के रूप में देखा जाता है।
- **आर्थक असमानताएँ:** वशष दरजा अकसर असमान वकलस की ओर ले जाता है। सककमल और महाराष्ट्र जैसे राज्य अतरककत सहायता से लाभानवतल होते हैं, जबकल **बहलर और उत्तर प्रदेश** ऐसे परावधानों के बनल अकसर वंचतल रह जाते हैं।
- **राजनीतक दुुरुपयोग:** **आंधर प्रदेश में अनुच्छेद 371D** जैसे परावधान, जो रोज़गार और शकषा तक समान पहुँच सुनशकतल करने के ललल है, का कभी-कभी राजनीतक लाभ के ललल दुुरुपयोग कलल जाता है।
- **कानूनी असपषटताएँ:** अलग-अलग कानूनी ढाँचे राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच संघरष उत्पन्न करते हैं। जम्मू और कश्मीर **मेंसतु एवं सेवा कर (GST)** को **अनुच्छेद 370** के कारण लागू करने में देरी हुई, जबकल **मल्लोरम में अनुच्छेद 371G** के कारण भूमल और संसाधन परबंधन पर ववलद उत्पन्न हुए।
- **सामाजक असमानताएँ:** वशष परावधान अकसर **हाशयल पर पड़े समूहों को परभावी ढंग से लाभ पहुँचाने** में वकलल रहते हैं। **पाँचवीं और छठी अनुसूची** के अंतरगत आने वाले आदवलसी कषेत्रों में, सत्ता की गतशीलता न्यायसंगत वतरण में बाधा डालती है, जैसा कलल्लारखंड में देखा गया है, जहाँ कई आदवलसी समुदाय वंचतल रह जाते हैं।

आगे की राह:

- **राष्ट्रीय एकता को बढावा देना:** सरकारलल आयोग (1983) ने बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से **सहकारी संघवाद** की सफलरशल की। कनाडा जैसे देश एक मज़बूत संघीय ढाँचे के साथ **कषेत्रीय स्वायत्तता को संतुलतल करते हैं**, जससे **एकता और ववलधलता** दोनों को बढावा मललता है।
- **कषेत्रीय असमानताओं को संबोधतल करना:** **15वें वतलत आयोग (2020)** ने अवकलसतल राज्यों को **समान राजकोषीय हसतांतरण** की आवश्यकता पर ज़ोर दलल। **स्वटलज़रलैंड की राजकोषीय समतुल्यता परणाली** संतुलतल वकलस के ललल संसाधन पुनरवलरण का एक सफल मॉडल परसतुत करती है।
- **राजनीतक शोषण को रोकना:** **पुंछी आयोग (2007)** ने केंद्र-राज्य संबंधों पर स्पषट दशल-नरदेश और इन परावधानों की समय-समय पर समीकषा का सुझाव दलल। **जर्मनी की संघीय परणाली** में जवाबदेही के उपाय शामिल हैं ताकल यह सुनशकतल कलल जा सके कलल परावधान अपने इच्छतल उद्देश्यों को पूरा करना।
- **कानूनी ढाँचे को स्पषट करना:** **राज्य पुनरगठन आयोग (1955)** ने ववलदों को कम करने के ललल राज्य की सीमाओं को **सांसकृतकल और भाषाई पहचान के साथ संरेखतल करने की सफलरशल की**। **स्पेन के स्वायत्त कषेत्र** एक स्पषट कानूनी संरचना परदरशतल करते हैं जो स्थानीय और राष्ट्रीय हतल को संतुलतल करती है।
- **सामाजक समानता को बढावा देना:** अनुसूचतल जातलियों के ललल **राष्ट्रीय आयोग (NCSC)** समान लाभ सुनशकतल करने के ललल **लकषतल कारकर्मों और नगरलनी तंत्रों का समरथन करता करता है**। हाशयल पर पड़े समुदायों की रकषा करने वाले **दकषणल अफ्रीका के संवैधानक**

प्रावधान एक प्रासंगिक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा के पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न. भारत के संविधान की कसि अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशेष प्रावधान हैं?(2008)

- (a) तीसरा
- (b) पाँचवाँ
- (c) सातवाँ
- (d) नौवाँ

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में कसिसे संबंधित प्रावधान हैं? (2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हतियों की रक्षा
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण
- (c) पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हतियों की रक्षा

उत्तर: (a)

प्रश्न. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत वस्तितार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। नमिनलखिति में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013)

- (a) स्वशासन प्रदान करना
- (b) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
- (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
- (d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी पाँचवीं सूची का क्रयान्वयन न हो पाने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2013)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतषिठापति उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)